न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 121/2017 दायरा दिनांक : 26.07.2017

उनवान

गिरजा शर्मा आयु 50 वर्ष पत्नी प्रहलाद शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली हाल निवासी छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा सत्यमेव जयते

बनाम

1– धन्ना लाल आयु 75 वर्ष आत्मज भैरू लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– संतोष आयु 50 वर्ष आत्मज धन्ना लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– महेन्द्र आयु 45 वर्ष आत्मज धन्ना लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– हरिशंकर आयु 43 वर्ष आत्मज धन्ना लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5– फूलचन्द आयु 40 वर्ष आत्मज धन्नालाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 146/2017 दायरा दिनांक : 04.09.2017

उनवान

गिरजा शर्मा आयु 50 वर्ष पत्नी प्रहलाद शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली हाल निवासी छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

बनाम

1— धन्ना लाल आयु 75 वर्ष आत्मज भैरू लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— बाबू लाल आयु 57 वर्ष आत्मज राधाकिशन, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3— राजेन्द्र आयु 51 वर्ष आत्मज राधाकिशन, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4— सावित्री बाई आयु 55 वर्ष पुत्री राधाकिशन, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5— शीला बाई आयु 49 वर्ष पुत्री राधाकिशन, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

6— भूलीबाई आयु 80 वर्ष बेवा राधाकिशन, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

7— प्रहलाद आयु 55 वर्ष पुत्र जानकीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

8— संजय कुमार आयु 33 वर्ष पुत्र हंसराज जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

9— मुरली आयु 22 वर्ष पुत्र हंसराज जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

10— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 170/2017 **दायरा दिनांक : 11.10.2017**

उनवान

1— धन्ना लाल आत्मज भैरू लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज॰)

2– संतोष आत्मज धन्ना लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– महेन्द्र आत्मज धन्ना लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– हरिशंकर आत्मज धन्ना लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5– फूलचन्द आत्मज धन्नालाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– गिरजा शर्मा पत्नी प्रहलाद शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली हाल निवासी छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां

...... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 171/2017 दायरा दिनांक : 11.10.2017

उनवान

1– धन्ना लाल आत्मज भैरू लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– संतोष आत्मज धन्ना लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– महेन्द्र आत्मज धन्ना लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– हरिशंकर आत्मज धन्ना लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5– फूलचन्द आत्मज धन्नालाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा, जिला बारां

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1– गिरजा शर्मा पत्नी प्रहलाद शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम आंचोली हाल निवासी छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां

...... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री वाई एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज सिंह, श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.01.2021

ये चारों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये चारों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 133/2012 व 183/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

चारों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट/वादी ने रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। इस वाद पत्र में रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण ने अपीलांट/वादनी के विरूद्ध काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया था जिसका प्रतिउत्तर अपीलांट ने प्रस्तुत किया था । रेस्पोडेंट कम 1 धन्नालाल ने भी एक वाद पत्र अपीलांट व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था जो दिनांक

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

23.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ समेकित कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादनी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2017 के अन्तर्गत कैम्प कोर्ट गुगोर में निर्णीत किया । निर्णय के समय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता को नहीं सुना तथा बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया । अपीलांट अनपढ़ महिला है, अपीलांट का पति भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तथा वह न्यायिक प्रक्रिया से पूर्णतया अनभिज्ञ है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम आंचोली, तहसील छबड़ा का 1/2 भाग अपीलांट ने 12,80000/— रूपये में मन्जू कुमारी पत्नी प्रकाश चन्द, जाति जैन, निवासी छबड़ा, तहसील छबड़ा जिला बारां से दिनांक 01.05.2012 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । इस भूमि पर पूर्व में मन्जू कुमारी का कब्जा काश्त था तथा रेस्पोडेंट क्रम 1 धन्ना लाल का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा में से 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर उसका 50 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त भूमि पर कभी भी रेस्पोडेंट क्रम 1 धन्नालाल अथवा उसके पुत्रों रेस्पोडेंट क्रम 2 लगायत 5 का कब्जा काश्त नहीं रहा । यह भूमि पैत्रिक भूमि नहीं है । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.05.2012 को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करने के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट ने कोई दीवानी वाद प्रस्तुत नहीं किया तथा गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 को 1/4 भाग पर खातेदार कृषक घोषित कर दिया । रेस्पोडेंट क्रम 1 धन्ना लाल द्वारा प्रस्तुत वाद 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपीलांट व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जिसका वाद संख्या 133/2012 है । इस वाद पत्र में रेस्पोडेंट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय से यह अनुतोष किया था कि भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

21 बीघा 18 बिस्वा में से खाता दुरूस्त कर 8 बीघा 9 बिस्वा वादी के नाम जमाबंदी में दर्ज फरमाने का आदेश दिया जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा का 1/4 भाग अपीलांट के नाम तथा 1/4 भाग रेस्पोडेंट कम 1 धन्ना लाल के नाम तथा शेष भूमि राधाकिशन पुत्र भैरू हिस्सा 50/438 एवं संजय कुमार, मुरली मनोहर पुत्र हंसराज हिस्सा 169/438 के नाम यथावत रहेगा । रेस्पोडेंट कम 1 ने अपने द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अथवा अनपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के काउंटर क्लेम 1/4 भाग को अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज कराने का अनुतोष नहीं मांगा तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अव्यवहारिक तर्कों के आधार पर दिनांक 27.06.2017 को निर्णय पारित कर दिया, जो अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय में वादनी ने विवाद्यक 1, 2 व 3 को भलीभांति साबित किया परन्तु विवाद्यक संख्या 4 व 5 को रेस्पोडेंट ने किसी भी स्थिति में साबित नहीं किया है । अपीलांट ने अपने वाद पत्र के साथ एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.05.2014 को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा का 1/2 भाग वाके ग्राम आंचोली पर तहसीलदार छबडा को रिसीवर नियुक्त किया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 अपास्त किया जावे ।

अपील संख्या 170/2017 व 171/2017 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.08.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

चारों अपीले प्राप्त होने पर अपील संख्या 170/2017 व 171/2017 सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी का सही बंटवारा नहीं कर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन नहीं कर निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही व उचित निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपील संख्या 170/2017 व 171/2017 न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकी कायम की है लेकिन तनकीवार विवेचन नहीं करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 27.06.2017 को वादिया के पति की उपस्थिति दर्शाई गई है जबकि वादिया (अपीलांट)का पति प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है । लोक अदालत में प्रकरण राजीनामा के आधार पर निर्णित किये जाते हैं लेकिन प्रकरण में कोई राजीनामा भी नहीं है । अतः प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से भी किया हुआ नहीं माना जावेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर चारों अपीले अपील संख्या 121/2017, 146/2017, 170/2017 व 171/2017 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

करने का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.04.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा